

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

-: आदेश :-

सं० :-11/डी०-05-02/2024-

4638 /पटना, दिनांक :- 23.9.25

निगरानी विभाग, बिहार के पत्रांक-432/त०प०को० दिनांक-08.07.2025 के आलोक में श्री विकास कुमार (आई०डी०-5571), सहायक अभियंता, उड़नदस्ता अंचल-1, पटना को जल संसाधन विभाग से संबंधित जाँच कार्य के निष्पादन हेतु अपने कार्यों के अतिरिक्त तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग, बिहार में अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त किया जाता है।

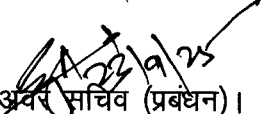
2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
3. प्रतिनियुक्त सहायक अभियंता के वेतनादि का भुगतान उनके मूल पदस्थापित स्थान से पूर्ववत होता रहेगा।
4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


(सिरपुराज अहमद)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक:-11/डी०-05-02/2024-

4638 /पटना, दिनांक :- 23.9.25

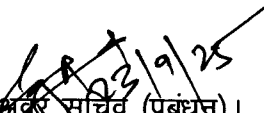
प्रतिलिपि:-संयुक्त सचिव, तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक:-11/डी०-05-02/2024-

4638 /पटना, दिनांक :- 23.9.25

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव (प्रबंधन)/अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल-1, पटना/संबंधित सहायक अभियंता (असैनिक)/प्रशाखा पदाधिकारी-10 (निजी संचिका में संधारण हेतु), 15, 20, 22, 23 एवं 24 जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियन्ता आई० टी०, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना/आई० टी० मैनेजर, जल संसाधन विभाग, पटना को (विभागीय/Common Integrated Website पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अवर सचिव (प्रबंधन)।